

6

छत्तीसगढ़ शासन,
जल संसाधन विभाग,
मंत्रालय,
महानदी भवन, अटल नगर
जिला-रायपुर

क्र. 3265 / एफ-7-43-31 / एस-2 / 2020,
प्रति,

अटल नगर, दिनांक /09/2020
5/10/2020

मुख्य अभियंता,
हसदेव कछार,
जल संसाधन विभाग,
बिलासपुर (छ.ग.)

विषय:-
20-21

बिलासपुर जिले के आमाकोनी नहर का उन्नयन एवं लाईनिंग कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति।

संदर्भ :- प्र.अ. का पत्र क्रमांक-45/बो.प्र./तक/ह.क./2020/5677, दिनांक 25.05.2020.

—00—

राज्य शासन एतद् द्वारा बिलासपुर जिले के आमाकोनी नहर का उन्नयन एवं लाईनिंग कार्य हेतु लागत राशि रु. 111.01 लाख (रुपये एक करोड़ ग्यारह लाख एक हजार) मात्र की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है।

2. प्रस्तावित कार्यों से रूपांकित क्षमता में हो रही 88.94 हेक्टेयर की कमी की पूर्ति के साथ अतिरिक्त 4.40 हेक्टेयर कुल 232.94 हेक्टेयर में सिंचाई प्रस्तावित है।
3. कार्य विभाग नियमावली की कंडिका 2.006 के नीचे दिये गये नोट 3(बी) एवं 3(सी) के अनुसार योजना की तकनीकी स्वीकृति दी जाकर एवं अन्य अमीष्ट औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात निर्माण कार्य प्रारंभ किया जावे तथा कार्य पूर्ण होने के उपरांत योजना का पूर्णता प्रमाण-पत्र शासन को दिया जावे।
4. छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग-एक के नियम-10 के अनुसार मुख्य अभियंता का यह दायित्व है कि वे कार्य पर नियंत्रण रखें तथा उनके कार्यालय तथा अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा प्रशासकीय वित्तीय नियमों का पालन हो।
5. योजना पर व्यय बजट शीर्ष मांग संख्या-64-(अनुसूचित जाति उपयोजना) लेखाशीर्ष-4700, वृहद् सिंचाई पर पूंजी परिव्यय, (10) खारंग जलाशय, (2884) नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य, #26-वृहद् निर्माण कार्य, 005 बांध एवं नहर के अंतर्गत विकलनीय होगा।
6. योजना छ.ग.शासन, वित्त एवं योजना विभाग मंत्रालय के वित्त निर्देश 25/2012 अनुसार गठित समिति की बैठक दिनांक 07.09.2020 द्वारा सहमति प्राप्त है।
7. योजना का कार्य स्वीकृत राशि एवं निर्धारित समयावधि के अंतर्गत ही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। लागत वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी।
8. निर्माण कार्य की लागत में मितव्ययता को सुनिश्चित किया जावे।
9. संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालन अभियंता निर्माण कार्य की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करें।

Cor
2/ काम (5)

31/10/20

D-6
2-11

कार्य: भू. सं.
हसदेव कछार ज. संस.
विभाग बिलासपुर (छ.ग.)
आ.क्र. 2270
दिनांक 31-10-20
कक्ष W

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

[Signature]

(वृन्दावन सेन)
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग
30/10

पृ.क्र. 3266 / एफ-7-43-31 / एस-2 / 2020,

अटल नगर, दिनांक /09/2020

5/10/2020

प्रतिलिपि :-

- 1 अपर मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
 - 2 निज सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी (निवास), छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।
 - 3 विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
 - 4 अपर मुख्य सचिव (वित्त), छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
 - 5 सचिव, जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
 - 6 महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
 - 7 महालेखाकार (लेखा परीक्षा), जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
 - 8 कलेक्टर, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)।
 - 9 संचालक जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, अटल नगर।
 - 10 प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, अटल नगर।
 - 11 उप संचालक, मंत्रालय प्रेस प्रकोष्ठ कक्ष क्र.-एम 4-22 अटल नगर।
 - 12 अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस.यूनिट स्टेट डाटा सेंटर, सिविल लाईन्स, रायपुर (छ.ग.)।
 - 13 अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन मण्डल बिलासपुर, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)।
 - 14 कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 15 आदेश फोल्डर।

मुख्य अभियंता
जल संसाधन विभाग,
बिलासपुर (छ.ग.)

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग

पृ० क्र० ०२/कार्य/अ-६/२०-२१

दिनांक ०४/११/२०२०

प्रतिलिपि,

- ① अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन मण्डल बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
- ② कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग बिलासपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। स्वीकृत राशि अड्डाकार इन कार्यालय के बुफलेट में सुधार की कार्यवाही करावे।
- ③ मानचित्रकार-२ कार्यालय को प्रशासनिक स्वीकृत पंजी में प्रतीष्ट हेतु अग्रेषित।
- ④ डाटा कक्ष/सामान्य कक्ष को सूचनार्थ प्रेषित।